

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

13/7 पक्षकार/पक्षकारान क आधववता उपस्थित

पीटा... / प्रमण/
स्थान... / काश पर गये हुय
है। पत्रावली उनके समत दिनांक-20.8.20
को प्रस्तुत है।

20/7 पक्षकार/पक्षकारान क आधववता उपस्थित

पीटा... / प्रमण/
स्थान... / काश पर गये हुय
है। पत्रावली उनके समत दिनांक-10.8.20
को प्रस्तुत है।

10.8.20

22
10/8/20
NA...
[Signature]
A.

पत्रावली पेश/व्युत्पन्न उपर वर्णित
प्रतिकर ने निवेदन किया की रा. प्रो. के
रा. प्रो. के का काम...
पर विवेक...
नंबर के अंदर...
अनेक... 1, 2 का रिहमा...
मिसे...
के रा. प्रो. के...
ही...
न...
मिया...
लि...
मि...
पत्रावली...
पत्रावली...

22
[Signature]
(S.D.O), खी...

21

गौर राजपेरोकार के द्वारा प्रस्तुत दर0 प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की हिस्से दारी दुरस्त करने के लिए, कायममुकाम रेकर्ड पर लेने के आवेदन पर विद्वान अधिवक्ता का No objection एवं एसी द्वारा प्रस्तुत आवेदन जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की हिस्सेदारी दुरस्त की दर0 पर एरोकार का No objection होने पर स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का हिस्सा 1/8 व 1/8 के स्थान पर 1/6 - 1/6 दुरस्त किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के कायममुकाम का हिस्सा 1/8 - 1/8 के स्थान पर 1/4 किया जाता है।

नोट: उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं जमाबन्दी खाता सेग्रीगेशन का कार्य भी आवश्यक होने के कारण से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है।

मौजा खड़काली के खेत ख.न. 550 रकबा 05.11 बीघा किस्म बा. 2, ख.न. 4 रकबा 02.15 बीघा किस्म बा. 2, ख.न. 570 रकबा 00.06 बीघा किस्म गै.मु. बाड़ा, ख.न. 571 रकबा 16.05 बीघा किस्म बा. 2, आराजी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 20 की संयुक्त खातेदारी की स्थिति में से प्रतिवादीगण की अलग अलग हिस्सा निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है:-

श्री भेराराम पुत्र कानाराम के कायममुकाम :- 1/1 दीपाराम पुत्र भेराराम, 1/2 छगना पुत्री भेराराम, 1/3 तुलच्छी पुत्री भेराराम, 1/4 आसी पुत्री भेराराम, 1/5 श्री मूलाराम पुत्र भेराराम के कायममुकाम :- 1/5/1 श्रीमति खेमी पत्नि मूलाराम 1/5/2, श्री नारायणराम पुत्र मूलाराम, 1/5/3 श्री गोपीराम पुत्र मूलाराम, 1/5/4 श्री शिवलाल पुत्र मूलाराम, 1/5/5 श्री सुगनाराम पुत्र मूलाराम, 1/5/6, श्री खींयाराम पुत्र मूलाराम, 1/5/7 श्री अखाराम पुत्र मूलाराम, 1/5/8 श्री राधा पुत्री मूलाराम का हिस्सा 28/132 श्री गेनाराम पुत्र कानाराम का 5/132 हिस्सा, 2. श्री मोडाराम पुत्र हेमाराम का हिस्सा 1/6, 3. श्री रामुराम पुत्र हेमाराम का हिस्सा 1/6, केसी पत्नि बालुराम का हिस्सा 1/24, श्री हरिराम पुत्र बालुराम का हिस्सा 1/24, श्री मानाराम पुत्र बालुराम का हिस्सा 1/24, श्री शोभाराम पुत्र बालुराम का हिस्सा 1/24, श्री भंवरराम पुत्र चतराराम का हिस्सा 1/80, श्री हणुताराम पुत्र चतराराम का हिस्सा 1/80, श्री भगवानाराम पुत्र किशनाराम का हिस्सा 1/80, श्री मांगीलाल पुत्र किशनाराम का हिस्सा 1/80, श्री गोरधनराम पुत्र चुनाराम का हिस्सा 1/40, श्री कुम्बाराम पुत्र चुनाराम का हिस्सा 1/40, श्री देवाराम पुत्र चुनाराम का हिस्सा 1/40, श्री पीराराम पुत्र मोवनाराम का हिस्सा 1/48, श्री भीखाराम पुत्र मोवनाराम का हिस्सा 1/48, श्री धुडाराम पुत्र चुनाराम का हिस्सा 1/24, चुनी पत्नि आसाराम का हिस्सा 1/24, जातियान जाट निवासीगण देह तहसील खींवर जिला नागौर।

इसी अनुसार खातेदारी एवं हिस्सेदारी कायम की जाती है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

नोट :- उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो इस आदेश की पालना की जावे तथा उक्त आराजी किसी भी बैंक में रहन हो तो रहन मुक्त होने तक रहन यथावत रहेगी।

(र/3)
राजकेश मीना RAS
सहायक कलक्टर
खींवर

(र/3)
राजकेश मीना RAS
सहायक कलक्टर
खींवर

उक्त निर्णय आज दिनांक 10.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।